निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **15** वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस च कत्सालय, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस च कत्सालय, अल्मोड़ा के माह 08/2012 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 19.05.2017 से 26.05.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री ए. के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री के.एस.चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 16.08.2012 से 23.08.2012 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2009 से 07/2012 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः इकाई के क्रयाकलाप के अंतर्गत जनरल सर्जरी, बाल रोग, ई.एन.टी., नेत्र, आर्थो, गायनिक, ई.सी.जी., का र्डयेक केयर, रे डयोलाजी, पैथोलाजी, जन औष ध केंद्र, रा.बी.एस.के., जननी सुरक्षा केन्द्र, एम.एस.बी.वाई., एन.बी.एस.यू. एवं 24 घन्टे आकस्मिक सेवायें उपलब्ध कराना एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र के अंतर्गत कुमाऊँ मण्डल के सन्द र्भत च कत्सालय के रूप में की जाती है

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थाप ना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य (+)	बचत	आ ध क्य (+)	बचत
2012-13	लागू नहीं	लागू नहीं	4.45	2.71	594.52	615.53	--	1.74	21.01	--
2013-14			11.47	11.18	746.35	715.39	--	0.29	--	30.96
2014-15			16.84	12.81	817.90	815.80	--	4.03	--	2.10
2015-16			14.28	11.75	950.59	887.68	--	2.53	--	62.91

2016-17			19.50	17.14	1155.99	958.27	--	2.36	--	197.72

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(` में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2012-13	D.I.C. (RBSK)	--	0	0	0	--
2013-14	D.I.C. (RBSK)	--	687508	333445	354063	--
2014-15	D.I.C. (RBSK)	--	5161436	3624598	1536838	--
2015-16	D.I.C. (RBSK)	--	830361	2056533	1226172	--
2016-17	D.I.C. (RBSK)	--	4209665	2737058	1472607	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'ब' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). प्रमुख स चव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल

4). अपर निदेशक

5). संयुक्त निदेशक

6). मुख्य च कत्सा अ धकारी

7). प्रमुख अधीक्षक

8). वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा, वगत लेखापरीक्षा (08.2012) से अप्रैल 2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस च कत्सालय, अल्मोड़ा के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस च कत्सालय, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 एवं 04.2015 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - दो (ब)

प्रस्तर:- **1** धनरा श रु 6,72,071/- के निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न कया जाना

सामान्य वत्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिये ता क उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस च कत्सालय, अल्मोड़ा में वर्ष 2005 से 2016 के मध्य धनरा श रु 6,72,071/- (अनुलग्नक-1) के निम्न ल खत सामग्री अप्रयुक्त घो षत की गयी थी, जिनकी नीलामी होनी अभी तक लम्बित थी नीलामी न कये जाने के कारण उक्त वाहनों का निरन्तर मूल्य ह्रास हो रहा था, जिसके कारण उक्त सामग्री की नीलामी से प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियों की हानि हो रही थी

लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रमुख अधीक्षक, गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस च कत्सालय, अल्मोड़ा ने उत्तर दिया क नीलामी की कार्यवाही की जा रही है उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यो क 1 से 12 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी नीलामी की कार्यवाही नहीं की गयी थी

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

अनुलग्नक- 1

निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची

क्र. सं.	सामग्री का नाम	सामग्री की सं.	दर (रु)	अप्रयुक्त होने का वर्ष	कुल सामग्री का पुस्तकीय मूल्य (रु)
1	कुदाल हत्थे सहित	1	30	2015-16	30
2	बेबी वेईंग मशीन	2	593	2014-15	1186
		4	664	2014-15	2656
3	हार्ड बैड वुडन	4	850	2014-15	3400
4	बैड इन्टन सव कैरी	2	8070	2013-14	16140
		5	8800	2013-14	44000
5	बैड स्टेट कैट नं. 30	2	1310	2013-14	2620
6	बैड स्टेट वुडन	8	1264	2013-14	10112
7	बैड साइड लाकर एम एस टाप	210	1355	2013-14	284550
8	बैड साइड लाकर एम एस	94	150	2013-14	14100
9	बैड साइड लाकर एम एस टाप	54	281	2013-14	15174
10	बैड साइड लाकर वथ वन ड्रार	19	695	2014-15	13205
11	बैड साइड स्टूल एम एस	74	49	2014-15	666
12	बैड साइड स्टूल लकड़ी	4	1070	2013-14	4280
13	बैड साइड स्टूल फ्रेम	19	225	2013-14	4275
14	बैड साइड स्टूल 3 सीट	100	375	2013-14	37500
15	बैक रेस्ट एम एस	29	138	2013-14	3992
16	Xerox Photo Stat Machine	1	88766	08/2005	88766
17	UPS 1000 KVA	6	--	03/2008	31500
18	Printer Cartridge	3	--	03/2008	16000
19	Computer Table 2x3	3	--	07/2007	6945
20	Desktop Acer	2	--	02/2007	59300
21	UPS 01 KVA	2	--	07/2011	7751
22	UPS 700 KVA	2	--	07/2011	3923
				Total =	**6,72,071/-**

भाग - दो (ब)

प्रस्तर:- **2** धनरा श रु 4.85 करोड़ के उपकरणों का अनुपयोगी पड़े रहना

अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क वर्ष 2004 से 2010 के मध्य क्रय कये गये/ स्वास्थ्य महानिदेशाशालय से प्राप्त कये गये धनरा श रु 4.85 करोड़ (अनुलग्नक-) के च कत्सा उपकरण आपरेटर / टेक्नी शयन की तैनाती न कये जाने के कारण 1 वर्ष से 11 वर्ष से च कत्सालय में निष्क्रिय पड़े हुये थे आगे, जाँच में पाया गया क च कत्सालय प्रसाशन द्वारा न तो उक्त उपकरणों को अन्यत्र स्थानांतरित कया गया और न ही आपरेटर / टेक्नी शयन की तैनाती की गयी

लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रमुख अधीक्षक, गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस च कत्सालय, अल्मोड़ा ने उत्तर दिया क उपकरणों के उपयोग वषयक पत्र महानिदेशालय को प्रे षत कये गए हैं उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यो क च कत्सालय प्रशासन की उदासीनता के कारण धनरा श रु 4.85 करोड़ के उपकरण 1 से 11 वर्ष से अनुपयोगी पड़े हुये थे उक्त प्रकरण वर्ष जुलाई 2016 में की गयी लेखापरीक्षा में भी उठाया गया था

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

अनुलग्नक-

अनुपयोगी उपकरणों की सूची :-

क्र. सं.	च कत्सा उपकरण का नाम	क्रय ति थ	अनुपयोगी ति थ	क्रय मूल्य (रु)	अनुपयोगी रहने का कारण
1	टी.यु.आर. सैट- 1	05.03.2006	--	1334476	जनरल सर्जन, न र्सिंग स्टाफ के अप्र श क्षत एवं ओ.टी. टैक्नी शयन का पद सृजित न होना
2	लेपकोल सैट- 1	13.05.2006	--	2525968	वर्तमान में तैनात सर्जन को प्र शक्षण दिलाये जाने की कार्यवाही का लम्बित रहना
3	Pure Tone Audiometer- 01	01.05.2006	--	433902	उपकरण के उपयोग के सम्बन्ध में कार्यवाही का लम्बित होना
4	हिमो डायले सस मशीन- 2	08.05.2006	08.05.2006	1084720	वशेषज्ञ का पद सृजित न होना एवं जनरल फजि शयन एवं न र्सिंग स्टाफ का प्र श क्षत न होना
5	Treatment Plant- 2 M/s Radical Health Tech. Chandigarh	02.08.2006	02.08.2006	592800	--तदैव--
6	C T Scan	24.03.2004	14.06.2016	22624019	ए.एम.सी. का नवीनीकरण न होना
7	D R System	30.08.2010	06.2016	12598845	आनलाइन यू.पी.एस. का क्रय न हो पाना
8	Mammography	23.03.2006	09.2012	7350800	सी..एम.सी. का नवीनीकरण न होना
			योग =	485,45,530/-	

भाग-दो (ब)

प्रस्तर **3**: रुपया 15.64 लाख की हानि।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु च कत्सालय, बीमा कंपनी तथा TPA के साथ कए गए सेवा अनुबंध के अनुसार एंपेनल्ड च कत्सालय द्वारा लाभार्थी के च कत्सालय से डस्चार्ज होने के सात दिन के अंदर लाभार्थी की च कत्सा से संबन्धित सभी वांछित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड कर दिये जाने चाहिए। च कत्सालय द्वारा नेट कनेक्टि वटी अथवा अन्य कारण से वांछित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहने की स्थिति में, अपने भुगतान हेतु दावों को अ धकतम दस दिन के अंदर इलेक्ट्रोनिकली अथवा मेनुयली बीमा कंपनी को प्रस्तुत कर देने चाहिए। च कत्सालय भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कंपनी को सू चत करेगा, यदि दावे 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी को प्रस्तुत कए जाते हैं तो, बीमा कंपनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी क दावे 10 दिन के अंदर प्राप्त नहीं हुए अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे। मुख्य च कत्सा अ धकारी कार्यालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से संबन्धित अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क मई 2017 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा के अन्दर वांछित दस्तावेजों सहित भुगतान दावे प्रस्तुत न कए जाने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रमशः रुपया 3.48 लाख तथा 12.16 लाख के भुगतान दावे बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिये गए। जिसके परिणाम स्वरूप रुपए च कत्सालय को रुपया 15.64 लाख की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर प्रमुख च कत्सा अधीक्षक ने स्वीकार कया क समय से वांछित दस्तावेज़ सहित भुगतान दावे अपलोड न कए जाने के कारण बीमा कंपनी द्वारा भुगतान दावे अस्वीकार कए गए। इस प्रकार च कत्सालय द्वारा अनुबंध की समय-सीमा के अंदर भुगतान दावे प्रस्तुत कए जाने में वरती गयी श थलता के कारण च कत्सालय को रुपया 15.64 लाख की हानि हुई।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग –दो (ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>:-**4.** रोकड़-बही के रख-रखाव में अनिय मतताएं

रोकड़-बही की जाँच में निम्न ल खत अनिय मतताएं में पायी गयीं :-

1). शासन के पत्रांक सं0- 3 /xxvii(6) / 2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं सं वतरण अ धकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनरा श सम्बं धत के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के ववरण का प्रंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बं धत अ भलेखों- यथा 11सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्र वष्टि यथा स्थान पर करेंगे ।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस च कत्सालय, अल्मोड़ा की रोकड़बही की नमूना जाँच में पाया गया क माह अप्रैल 2015 एवं अगस्त 2016 में ट्रेजरी द्वारा प्राप्त **Form BM- 5** के कुल रू 238.82 लाख की धनरा श को रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया था । ववरण निम्नवत है :-

(रु में)

ववरण		
दिनांक	वाउचर नं**o**	नेट धनरा श **(Rs)**
10.04.2015	A22100043 (वेतन)	52746
10.04.2015	A22100044 (वेतन)	5779103
29.04.2015	A22100133 (वेतन)	53746
29.04.2015	A22100141 (वेतन)	5739771
22.08.2016	A22100043 (वेतन)	114380
22.08.2016	A22100144 (वेतन)	6002276
30.08.2016	A22100108 (वेतन)	110645
30.08.2016	A22100135 (वेतन)	6028842
	योग =	**2,38,81,509/-**

<u>2).</u> वस्तृत जांच हेतु चयनित माह अगस्त 2016 में च कत्सा प्रबन्धन स मति की रोकड़बही की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क धनरा श रु 30,778/- के कुल 06 निम्न ल खत चेकों को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था :-

ववरण			
चेक नं0	दिनांक	धनरा श (Rs)	अभ्युक्ति
888789	11.08.2016	3377	आयकर
888791	11.08.2016	797	आयकर

888793	11.08.2016	1067	आयकर
888795	11.08.2016	533	आयकर
888798	11.08.2016	21432	आयकर & ब्यापार कर
888799	11.08.2016	3572	श्र मक उपकर
	कुल =	**30,778/-**	

3). वस्तृत जांच हेतु चयनित माह अगस्त 2016 में च कत्सा प्रबन्धन स मति की रोकड़बही की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क कम्प्यूटर अनुरक्षण मद में '**M/s Technical Services, Jakhan Devi, Almora**' को रु 38,338/- का भुगतान कया गया था, परन्तु सम्बन्धित वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया ।

लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रमुख अधीक्षक, गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस च कत्सालय, अल्मोड़ा ने उत्तर दिया क रोकड़बही में प्र वष्टियों हेतु अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी एवं अप्रस्तुत वाउचर को लेखापरीक्षा को प्रे षत कर दी जायेगी उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क प्रत्येक अंतरण का रोकड़बही में प्र वष्टि होनी चाहिये थी एवं अप्रस्तुत वाउचर को उपलब्ध कराना चाहिए था

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

<u>प्रस्तर:-5.</u> जननी सुरक्षा योजना के क्रयान्वयन में रु 17.27 लाख का अनियमत भुगतान कया जाना

जननी सुरक्षा योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार:- प्रसव की संभावत तिथ से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक लाभार्थी हेतु जेएसवाई कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उक्त कार्ड प्रसव की संभावत तिथ से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधकृत चकत्साधकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत कया जाना चाहिए ताक लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डस्चार्ज करते समय उसको चैक प्रदान कया जा सके <u>एवं</u> लाभार्थी को चकत्सालय से डस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से उसे देय धनराश का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। प्रसव से सात दिन पूर्व अथवा सात दिन पश्चात कया गया भुगतान अवैध माना जाएगा। लाभार्थी को जारी कये गये चेक को केवल लाभार्थी को दिया जाना चाहिए ।

अवध 08.2012 से 04.2017 तक *जननी सुरक्षा योजना* के अंतर्गत कुल 1300 लाभार्थयों को रुपये 17,27,400/- का भुगतान कया गया था । अभलेखों की संवीक्षा में पाया गया कशत-प्रतिशत प्रकरणों में JSY कार्ड प्रसव के पश्चात भरे गये थे, एवं जननी सुरक्षा योजना के गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए 25 लाभार्थयों के चेक लाभार्थयों के बजाय अन्य व्यक्तियों को प्रदान कये गये थे ।

लेखापरीक्षा में इंगत कये जाने पर प्रमुख अधीक्षक ने उत्तर दिया कभवष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंक राज्य में योजना के कार्यान्वयन के 12 वर्ष (April 2005) बीत जाने के बाद भी चकत्साधकारी की कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के प्रति जागरुक नहीं, एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनियमत रूप से लाभार्थओं को भुगतान कया जा रहा था

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

<u>भाग – दो (ब)</u>

<u>प्रस्तर:-6.</u> न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता का र्मक को निर्वाह भत्ता के रूप में रु 1,59,794/- का अनिय मत भुगतान

लेखापरीक्षा अव ध 08.2012 से 05.2017 के दौरान इकाई के लेखा-अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया क श्री देवेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ सहायक को पोस्को एक्ट 2012 के अंतर्गत पु लस द्वारा की गयी कार्यवाही के अनुपालन में दिनांक 20.09.2015 को निलम्बित कया गया था। आगे, उक्त प्रकरण में Dr. Gyanendra Kumar Sharma, The Court of Special Judge, POSCO, Almora, Uttarakhand के आदेश दिनांक 22.03.2016 द्वारा श्री देवेन्द्र शर्मा को रु 50,000/- आ र्थक दण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गयी एवं श्री देवेन्द्र शर्मा, तत्समय से जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। आगे, अ भलेखों की संवीक्षा ने पाया गया क श्री देवेन्द्र शर्मा, को न्यायालय द्वारा दोष सद्ध कये जाने एवं आजीवन कारावास की सजा प्रदान कये जाने सम्बन्धी तथ्यों के संज्ञान में आने के वावजूद, च कत्सालय प्रशासन द्वारा उक्त का र्मक के वरुद्ध बर्खास्तगी की कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं उसे निरंतर निर्वाह भत्ता के भुगतान कया जा रहा था। जिसके परिणामस्वरूप, उक्त का र्मक को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा के आदेश जरी कये जाने से लेखापरीक्षा तक निर्वाह भत्ते के रूप में रूपया 1,59,794/- का अनिय मत भुगतान कया जा चुका था

लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रमुख अधीक्षक, ने उत्तर दिया क कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क न्यायालय द्वारा दोष सद्ध कये जाने एवं आजीवन कारावास की सजा प्रदान कये जाने सम्बन्धी तथ्यों के संज्ञान में आते ही उक्त का र्मक की बर्खास्तगी की कार्यवाही करते हुए निर्वाह भत्ते का भुगतान बन्द कया जाना चाहिए था

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
File No. SS/ AIR-50/ 2012-13	1 & 2	1 & 2	शून्य	1, 2, 3 & 4

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
File No. SS/ AIR-50/ 2012-13	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1, 2 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2 TAN- 1, 2, 3 & 4.	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	---

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख अधीक्षक, गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस च कत्सालय, अल्मोड़ा तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेख: शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डॉ0 सी.एम.एस. धामी	प्रभारी प्रमुख अधीक्षक	06.08.2012 से 31.12.2012
डॉ0 पी. के. उप्रेती	प्रभारी प्रमुख अधीक्षक	01.01.2013 से 26.11.2013
डॉ0 म,मीना भट्ट	प्रभारी प्रमुख अधीक्षक	26.11.2013 से 21.10.2014
डॉ0 डी. पी. दुर्गापाल	प्रभारी प्रमुख अधीक्षक	21.10.2014 से 12.07.2016
डॉ0 टी.पी. डमरी	प्रभारी प्रमुख अधीक्षक	12.07.2016 से 31.01.2017
डॉ0 एच. सी. गढ़कोटी	प्रभारी प्रमुख अधीक्षक	01.02.2017 से 19.05.2017
डॉ0 टी. डी. रखो लया	प्रभारी प्रमुख अधीक्षक	19.05.2017 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्रमुख अधीक्षक, गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस च कत्सालय, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी,
सामाजिक क्षेत्र